भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4155

दिनांक 29 मार्च, 2022 के लिए प्रश्न

आवारा पशु का तत्स्थानिक उपचार

4155. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा संकटग्रस्त आवारा पशुओं के तत्स्थानिक उपचार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा कया है;

(ख) क्या सरकार ने आवारा पशुओं के लिए वाहन पर सुविधा युक्त चल पशु एम्बुलेंस सुविधा शुरू की है जो पूर्ण सुसज्जित है तथा उनके उपचार के लिए तैयार किया गया है और कई मामलों में घायल आवारा पशुओं को तत्स्थानिक उपचार किया जा सकता है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पशु उपचार एम्बुलेंस जिसमें उपचार टेबल हो, पालतु पशुओं को इंजेक्शन देने की सुविधा हो, ऑक्सीजन सिलिंडर, कुत्तों को पकड़ने के लिए पृथक किए जा सकने वाला पिंजरा हो और कुत्तों को पकड़ने का उपकरण हो साथ ही डॉक्टर हो, तो इससे आवारा पशुओं का तत्स्थानिक इलाज संभव हो पाएगा और उन्हें अपने परिचित स्थान से अलग नहीं होना पड़ेगा और उनका समय पर उपचार भी हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो भविष्य में कब तक कदम उठाए जाएंगे और गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत/खर्च की गई राशि कितनी है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क)से (ग) पशुपालन राज्य का विषय है। सरकार, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी) योजना के तहत, पशु स्वास्थ्य की दिशा में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुपूरक करती है। किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार, वर्ष 2021-22 से, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए 100% केंद्रीय निधि प्रदान कर रही है। हालांकि, पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए आवर्ती परिचालन व्यय राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में; अन्य राज्यों के लिए 60% और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%, साझा किया जाएगा ।

इन एमवीयू को तत्स्थानिक आपातकालीन उपचार, मामूली सर्जरी, और पशुओं के लिए क्षेत्र की स्थितियों में नैदानिक उद्देश्यों के लिए नमूना संग्रह के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ अनुकूलित किया गया है। प्रत्येक एमवीयू में एक पशुचिकित्सक, एक पैरा-पशु चिकित्सक और एक चालक-सह-अटेंडेंट है.

(घ) सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान 4332 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 681.57 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जारी की गई निधियों का विवरण और एमवीयू की संख्या अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

****

अनुबंध-I

वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत एमवीयू और जारी की गई निधि का विवरण			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत एमवीयू की संख्या (खरीद और अनुकूलन)**	**2021-22 के दौरान जारी ऋण (लाख रु. में)**
1	आंध्र प्रदेश	340	5440.00
2	बिहार	307	4912.00
3	छत्तीसगढ	163	2608.00
4	गोवा	2	20.00
5	गुजरात	127	889.00
6	हरियाणा	70	1120.00
7	हिमाचल प्रदेश	44	704.00
8	झारखंड	236	3776.00
9	कर्नाटक	275	4400.00
10	केरल	29	464.00
11	मध्य प्रदेश	406	6496.00
12	महाराष्ट्र	80	1280.00
13	ओडिशा	181	2896.00
14	पंजाब	70	1120.00
15	राजस्थान	536	8576.00
16	तमिलनाडु	245	3920.00
17	तेलंगाना	100	1600.00
18	उत्तर प्रदेश	520	8320.00
19	उत्तराखंड	60	960.00
20	पश्चिम बंगाल	218	3488.00
21	अरुणाचल प्रदेश	25	400.00
22	असम	159	2544.00
23	मणिपुर	33	528.00
24	मेघालय	17	272.00
25	मिजोरम	26	416.00
26	नागालैंड	16	256.00
27	सिक्किम	6	96.00
28	त्रिपुरा	13	208.00
29	पुदुचेरी	1	16.00
30	दिल्ली	3	48.00
31	जम्मू और कश्मीर	6	96.00
32	लद्दाख	9	144.00
33	लक्षद्वीप	9	144.00
	कुल	**4332**	**68157.00**

******